सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 12, गुरूवार, *शाके* 1944-नवम्बर 03, 2022 *Kartika 12, Thursday , Saka 1944- November 03, 2022*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 03, 2022

संख्या एफ.15(11)पंरावि/विधि/पं.सं.गठन/पाली/2022/1430 :-राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-10 एवं 101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.15(11)पंरावि/विधि/पं.सं.गठन/पाली/2022/1206 दिनांक 13.09.2022 द्वारा पाली जिले की पंचायत समिति सोजत एवं मारवाड जंक्शन का पुनर्गठन कर पंचायत समिति बगडी का गठन किया गया है।

अत: विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.15(11)पंरावि/विधि/पं.सं.गठन/पाली/2022/1420 दिनांक 01.11.2022 को अतिक्रमित करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 एवं 101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठित पंचायत समिति मारवाड जंक्शन में कार्यरत संबंधित विकास अधिकारी को तथा पुनर्गठित पंचायत समिति सोजत एवं नवगठित पंचायत समिति बगडी में विकास अधिकारी पंचायत समिति सोजत को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । उक्त तीनो पंचायत समितियों में प्रशासको की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात पंचायत समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक निर्धारित की जाती है ।

आज्ञा से,
नवीन जैन,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।